

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2000 संत्र

कानूनक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 11 फरवरी, 2000 (मात्र 22, 1921)

समय 10.30 बजे बिन

1. प्रस्तुति

पृथक्कर्ता: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षित

(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सदस्य, बिलासपुर जिले के वन ग्राम कस्हीबहरा के आदिवासियों को बेदखल किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री नरेन्द्र सिंह तोमर, बुजमोहन अग्रवाल, सदस्य, ग्वालियर जिला प्रशासन द्वारा नयागांव एवं राजपुरा के सहरिया आदिवासियों की भूमि पर प्रभावशाली लोगों का कब्जा करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

निर्धारित
समय

3. शासकीय विधि विषयक कार्य

1 घन्टा
श्री सत्यनारायण शर्मा, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश आवकारी (संशोधन) विधेयक, 2000 (दिनांक 1 सन् 2000) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विजार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

4. आशाकरीय संकल्प

45 मि.
(1) श्रीमती सुधा जैन, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगी -

"सदन का यह मत है कि महिलाओं को स्वस्य एवं सक्षम बनाने हेतु प्राकृतिक धोग विद्या एवं जुड़ी-कराटे की विज्ञा का आवश्यक प्रावधान स्कूल शिक्षा में किया जावे।"

(2) सर्वश्री महेश लिवारी, धर्मजीत सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

45 मि.
"सदन का यह मत है कि ट्लाइटिक के बढ़ते उपयोग और ड्रेनेज फलस्वरूप बढ़ते प्रदूषण के मदेनजर ट्लाइटिक के निर्माण और उपयोग पर प्रदेश में प्रतिबंध लगाया जाये।"

(3) श्री श्याम होलानी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

1 घन्टा
"सदन का यह मत है कि प्रदेश के ऐसे ग्राम जहाँ जल जोत हैं उन ग्रामों में जल-नल योजना शीघ्र प्रारंभ की जाय।"

ओपाल :
दिनांक : 10 फरवरी, 2000

के.वी. लिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा